



STATE OF UTTAR PRADESH

14AC 338756

लोकानन्द लिखा अस्ति १८८९
लोकानन्द लिखा अस्ति १८८९

1960-1964
1965-1969

A(2318)

Astrob
-21/12/13

[Signature]

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : अल महमूद एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : प्लाट संख्या-442, ग्राम-टिकरी, तालुका-कंजासा, पोस्ट-जसरा, ज़िला-इलाहाबाद, पिन-212107
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-



(अ)

संरक्षक :

संस्था को 1000/- रु० मात्र या इससे अधिक मूल्य नगद या सम्पत्ति के रूप में एक बार प्रदान करेंगे वे संरक्षक सदस्य होंगे।

आजीवन सदस्य :

संस्था को 2500/- रु० नगद या उससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति के रूप में एक बार प्रदान करेंगे वे आजीवन सदस्य होंगे।

(स)

सामान्य सदस्य :

संस्था को प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 101/- रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

(द)

विशिष्ट सदस्य :

सम्मानित व्यक्तियों या शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट सदस्य बनाया जायेगा।

Muzammil Jahan

Jawad

Saadat

प्रतिवर्त्तन :

संस्था के किसी भी प्रकार की सदस्यता हेतु संस्था के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा जिस पर सेक्रेटरी/मैनेजर की लिखित रखीकृत के उपरान्त निर्धारित सदस्यता शुल्क अदा करने पर ही सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

6. सदस्यता की समाप्ति :



- मृत्यु हो जाने पर
 - पागल या दिवालिया हो जाने पर।
 - संस्था पके उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
 - त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार ढो जाने पर।
 - नियमित रूप से सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
 - चारित्रिक दौखें के कारण दण्डित होने पर।
 - लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहने पर।
 - अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर।
 - संस्था के दो अंग होंगे।

7. संस्था के अंग

४. साधारण सभा

(अ) गठनः

सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

१८८

सामान्य वैठकें वर्ष में एक बार तथा विशेष वैठक किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

सूचना अधिकारी :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :-

साधारण सभा की बैठक का कोरम 2/3 होगा स्थगित बैठक में कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा, एजेन्डा के विषय पूर्ववत ही होंगे।

(ए) विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेषन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्ध समिति द्वारा तय की जायेगी।

(उ) 1. साधारण सभा के अधिकार, शक्ति एवं दायित्व :
प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।

2. वार्षिक आय व्यय बजट को पारित करना।
3. नियमों व विनियमों में 2/3 के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।
4. संस्था की समस्त चल-अचल और अन्य प्रकार की सम्पत्ति सोसाइटी की होगी।
5. संस्था के समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन साधारण सभा कराएगी।
6. साधारण सभा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति और उन्हें सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक और समीचीन सभी कार्यों के निष्पादन की शक्ति साधारण सभा में निहित होगी। और वह इन कार्यों को सम्पादित करेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों की समान्यता के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के साधारण सभा को निम्नलिखित अधिकार होंगे :-

- 7.(1) भूमि, भवन तथा अन्य अचल सम्पत्ति को उपहार क्रय विनियम या वैध तरीके से रखीकार करने का पूर्ण अधिकार।

7(2) संस्था की स्थापना, विकास तथा इसके प्रबन्धन और प्रशासन हेतु विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण और संचालन।

7(3) भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अथवा किसी अन्य अभिकरण से सहायता, अनुदान, अन्य उपहार, दान को नकद, वस्तु या शुल्क के रूप में प्राप्त करना तथा एतदर्थ अनुबन्ध करना।

संस्था द्वारा की गई सेवाओं के बदले संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक और कोष की व्यवस्था करना।

7(4)

7(5) संस्था का वार्षिक आख्या, वित्तीय विवरण तथा वित्तीय अनुदान तैयार करना।

7(6) संस्था के कार्यों और सम्पत्ति के समुचित प्रबन्धन हेतु सभी आवश्यक कार्य सम्पादन।

7(7) संस्था के लिये सम्परीक्षा की उचित व्यवस्था करना।

7(8) यथावश्यक संस्था के क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु विनियमों को तैयार करना।

7(9) साधारण समा प्रबन्धकारिणी समिति को, अध्यक्ष या यविव को आवश्यक समझे गये अधिकारों, दायित्वों और शक्तियों को प्रतिनिधित्वित कर सकेगी और ऐसे कार्यों और दायित्वों को सौंप सकेगी।

7(10) साधारण समा को संस्था के लिये अपने सदस्यों के मध्य से समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी विशेष को समितियों/उप समितियों पर कार्य करने के लिए अधिकार होगा।



सत्य मात्रेलि
भारत सरकार
कल्पना साहित्य एवं संस्कृति विभाग
प्रधानमंत्री कार्यालय

Alok

Rakesh

Nilesh

1

100

9. प्रबन्धकारिणी समिति :

(अ) गठन :

साधारण सभा द्वारा निर्धारित प्रबन्धकारिणी समिति होगी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक सेक्रेटरी / मैनेजर, एक कोषाध्यक्ष तथा 7 सदस्य होंगे इस प्रकार कुल संख्या 11 होगी।

बैठकें :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में एक बार तथा आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि :

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

(द) गणपूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति के बैठकों का कोरम 2/3 होगा स्थागित बैठक में कोरम प्रतिवन्ध नहीं होगा, ऐजेन्डा के विषय पूर्ववत् रहेंगे।

(ए) रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि किसी प्रकार का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा शेष कार्यकाल के लिये कर ली जाएगी।

(फ) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।

संस्था का वार्षिक रिपोर्ट करना।

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना व विकास कार्य करना।

सत्य प्राप्तिलिपि

महाराष्ट्र राज्य संसद
सामाजिक सुधारी संघ चिन्ह
अधिकारी
अधिकारी

ASME

11 12

Chintan

V. M. D.

4. प्रबन्धकारिणी समिति संस्था की गतिविधियों के सुचाल संचालन के लिए साधारण के प्रति उत्तरदायी होगी।

5. संस्था के कार्यों के सम्बादन हेतु कार्मियों की नियुक्ति पदों का सूचन कर सरकार के प्राप्त निर्दशानुसार करेगी।

6. संस्था के कार्मियों पर नियंत्रण और उन्हें अनुशासित रखेगी।

साधारण सभा के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करेगी।

7. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करेगी और उसे स्वीकृति हेतु विचारार्थ सभा के समुख प्रस्तुत करेगी।

8. 9. प्रबन्धकारिणी समिति नियमावली के नियमों और विनियमों में संशोधन प्रस्तावित करेगी और उन्हें स्वीकृति हेतु साधारण सभा में प्रस्तुत करेगी।

10. 11. संस्था के लिए साधारण सभा द्वारा आय-व्यय प्राविधानों की सीमा के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं का क्रय करेगी जो संस्था के लिए आवश्यक हो।

12. 13. 14. संस्था के आय-व्यय लेखा सम्बन्धित अपूर्णांकों का उचित रख-रखाव करेगी।

साधारण सभा द्वारा नियुक्त सम्परीक्षकों द्वारा समिति के लेखा का वार्षिक सम्परीक्षण करायेगी।

संस्था के कार्यकलापों और विचारार्थ वार्षिक आख्या प्रति वर्ष तैयार करेगी।

संस्था की ओर से आवश्यकता पड़ने पर याद दायर करेगी तथा समिति के ऊपर दायर किये गये दावों का प्रतिवाद करेगी।



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- 
15. ऐसे सभी विधियुक्त कार्यों को करेगी जो संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त हों। इनमें ऐसे असाधारण आवश्यक व्याय भी समिलित हैं जिन्हें बाद में साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करा लिया जाय।
 16. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबन्धकारिणी समिति, उप समितियों का गठन करेगी और 'उन्हें उचित अधिकार और दायत्ति सौंपेगी। इन उप समितियों को समाप्त करने का अधिकार भी प्रबन्धकारिणी को होगा।
 17. ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वाह करेगी, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर प्रबन्धकारिणी को प्रतिनिर्धारित किये जायेंगे।

(ल) अध्यक्ष :

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
 2. संस्था के विकास के लिये कार्य करना।
 3. त्याग पत्रों को स्वीकार करना।
 4. समानमत होने पर निर्णयक मत देना।
 5. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
 6. संस्था के सभी पदाधिकारियों व संदस्यों को दिशा निर्देश देना।
 7. बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
 8. 'बैठक स्थागित करना व पुनः आहुत करने' हेतु प्रबन्धक को निर्देश देना।
- सत्य प्रस्तुति
अध्यक्ष रजिस्टर
मार्च 2013 तिथि
ASR ग्रामीण
- साधारण सदस्य बनाना तथा सेक्रेटरी/मैनेजर के रस्ताकर से प्रमाणित करना।

(व) उपायक्षण :

अध्यक्ष की अनुपरिस्थिति में उपायक्ष कार्य करेगा।

(स) सेक्रेटरी / मैनेजर :

1. संस्था के विकास के हेतु कार्य करना।
2. सभी प्रकार बैठकों की सूचना देना।
3. बैठकों की लिखियों का अनुमोदन करना।
4. संस्था की धल-अधल सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था करना।

संस्था की कार्यवाहियों का संचालन करना।

संस्था के कर्मचारियों वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, निष्कासन पदोन्नति करना।

संस्था के सभी प्रकार के बिल व बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना।

संस्था से सम्बन्धित समस्त अनुबन्धों अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित करना।

संस्था प्रकार के कार्यवाहियों का संचालन करना व बैठक में कार्यवाही को पढ़ कर सुनाना।

संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता प्रमाणित करना।

(द) कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

कोष सम्बन्धित समस्त कार्य करना।

सभी प्रकार के कोष को कैशबुक में इन्द्राज करना।

सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना करना।



J. Fer

Dasari

Kineelappi

Rehm

A. J. Patel

Nicassai

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन करना।

12. संस्था का कोष :

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत/निजी/मान्यता प्राप्त डैक, डाकघर में खाता खोलकर जमा होगा जिसका संचालन स्क्रेटरी/मैनेजर तथा कोषाध्यक्ष के एकल अथवा संयुक्त हृष्टपत्रों से संचालित किया जायेगा। संस्था द्वारा संचालित अधिकृत प्रतिनिधि अथवा समितियों/उपसमितियों के प्रदाताधिकारी के माध्यम से संस्थान के खातों का संचालन किया जा सकता है।

13. संस्था लेखा परीक्षण :

संस्था का आडिट प्रति वर्ष किसी सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध की गई अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के स्क्रेटरी/मैनेजर पर होगा।

15. संस्था के अभिलेख :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. सदस्यता रजिस्टर | 2. कार्यवाही रजिस्टर |
| 3. एजेण्डा रजिस्टर | 4. कैशबुक आदि |

16. विधटन :

संस्था के विधटन और विधित सम्पत्ति के निरस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :

12/12/2013
A. Shastri
इस्तमार